रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 558] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 19, 1981/अग्रहायण 28, 1903
No. 558] NEW DELHI, SATURDAY, DEC. 19, 1981/AGRAHAYANA 28, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1981

का०आ० 904(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार प्रथम दृष्टया इस मत की है कि "मेरी आवाज़ सुनो" (हिन्दी) नामक फिल्म में यातना, नृशंस हिंसा और क्रूरता के दृश्य हैं, जिनका दर्शकों पर भयंकर और डरावना प्रभाव पड़ता है, तथा महिलाओं के अर्ध-नग्न दृश्य हैं, जो मानविक संवेदन शीलता को क्षुब्ध करते हैं, और इसमें एक भवन को आग लगाने की कार्य प्रणाली भी दिखाई गई है और अतः यह फिल्म इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ 5/5/77-एफ (सी) दिनांक 7 जनवरी, 1978 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के पैरा 2(1), 2(2), 2 (3) और 2 (4) में उल्लिखित हिंसा, क्रूरता, किसी अपराध को करने के लिए उद्दीप और भ्रष्टता से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों की अवहेलना करती है और इस प्रकार यह फिल्म चल चित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) (इसके बाद इसको उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 5ख(1) के अर्थ के अन्तर "शिष्टता या नैतिकता और "किसी अपराध को करने

के लिए उद्दीपन" से संबंधित उपबन्धों का उल्लंघन करती है; और यत इस फिल्म का प्रदर्शन किए जाते रहने से दर्शकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है और इसलिए केन्द्रीय सरकार यह आवश्यक समझती है कि इस फिल्म के प्रदर्शन से जनता को तत्काल बचाना आवश्यक है ताकि आगे कोई हानि न हो ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ; केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि "मेरी आवाज सुनो" (हिन्दी) नामक फिल्म, जिसको केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, मद्रास द्वारा "ए" प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, का प्रदर्शन इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो महीने की अवधि के लिए निलम्बित कर दिया जाए ।

[सख्या 809/33/81-एफ(सी)]

सुरेश माथुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 1981

S.O. 904(E).—Whereas the Central Government is prima facie of the opinion that the film "MERI AWAZ SUNO" (Hindi) contains scenes of torture, brutal violence and cruelty having a gruesome and horrifying impact on the viewers and scenes of semi-nudity of female body which are offensive to human sensibilities and also shows the modus operandi of setting fire to a building; and whereas the film offends the guidelines relating to violence, cruelty, incitement to the commission of any offence and vulgarity mentioned in para 2(i), 2(ii), 2(iii) and 2(iv) of the guidelines issued under this Ministry's notification No. F.5/5/77-F(C) dated 7-1-78 (as amended) and thus contravenes the provisions relating to "decency or morality" and "incitement to the commission of any offence" within the meaning of Section 5B(1) of the Cinematograph Act 1952 (37 of 1952) (hereafter called the said Act), and whereas the continued exhibition of the film is likely to have an adverse impact on the audience and the Central Government therefore feels it necessary to protect the public at large immediately from exposure to the film so that further damage is averted;

Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the exhibition of the film entitled "MERE AWAZ SUNO" (Hindi) which was granted 'A' certificate by the Central Board of Film Censors, Madras, be suspended for a period of two months with effect from the date of issue of this Notification.

[No. 809/33/81-F(C)]

SURESH MATHUR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981